समग्र शिक्षा
Samagra Shiksha

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

मुख्य भवन ब्लॉक–5 एवं 06
डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर
फोन–0141–2706069 E-mail : rajssaquality@gmail.com , rajssa.training@gmail.com

क्रमांकः–रा.स्कू.शि.प. / जय / गुणवत्ता / कलस्टर / 01798 / 2025–26 / 1592120 दिनांक : 18/6/2025

कलस्टर स्तरीय कार्यशाला
दिशा–निर्देश 2025–26

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अभिशंषाओं के क्रम में FLN के समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्य योजना 2025–26 में FLN के क्षमता संवर्धन एवं अकादमिक सम्बलन हेतु कक्षा 1 से 5 में अध्यापन करवाने वाले शिक्षकों हेतु राज० स्कूल शिक्षा परिषद के माध्यम से FLN आधारित प्रशिक्षण आयोजित किये जाते रहे है। इस क्रम में शिक्षकों को वर्ष–पर्यन्त शिक्षण विधाओं, पाठ्यक्रम, पाठ्य–पुस्तक तथा शिक्षण प्रक्रिया में क्षमता संवर्धन एवं समस्याओं के निराकरण के उद्देश्य से (एक शैक्षिक सत्र में चार) कलस्टर स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जाना है।

1. FLN (सीसीई, एबीएल) आधारित कलस्टर स्तरीय कार्यशाला :

विषयवार कलस्टर स्तरीय कार्यशालाएं शिक्षकों को क्षमता संवर्धन एवं अकादमिक संबलन प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इन कार्यशालाओं में दक्ष प्रशिक्षक / केआरपी / एसआरजी / डाईट सदस्यों द्वारा शिक्षकों की चुनौतियों के निराकरण हेतु कार्य किया जायेगा। शिक्षक आपस में अपने अनुभवों से भी एक दूसरे का क्षमता संवर्धन सहयोग करेंगे। इन कलस्टर स्तरीय कार्यशालाओं की तैयारी में डाइट संकाय के सदस्य दक्ष प्रशिक्षकों का मार्गदर्शन करेंगे। इन कलस्टर स्तरीय कार्यशालाओं के माध्यम से शिक्षकों को यह समझने में मदद मिलेगी कि –

- FLN के लक्ष्यों को प्राप्त करने की कार्य योजना समझना।
- बाल केन्द्रित एवं गतिविधि आधारित शिक्षण प्रक्रिया से शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के तरीके।
- नवीन पाठ्यपुस्तक एवं सीसीई की सामग्री के साथ कार्य करने की समझ विकसित करना।
- बच्चों के स्तर पहचान करने में आने वाली समस्याओं के समाधान को समझना।
- कक्षा में बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान कौशलों के विकास हेतु संतुलित शिक्षण पद्धति आधारित शिक्षण योजना बनाने में।
- समूहवार शिक्षण की योजना और प्रक्रिया की बेहतर क्रियान्विति करना।
- शिक्षण के विभिन्न तरीके क्या हो सकते है ? जिससे बच्चों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जा सके, को समझना।
- रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए समझ विकसित करना।
- रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन दर्ज करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाये, को समझना।
- किसी विशेष अधिगम बिन्दु या विषय वस्तु पर कार्य करने का प्रभावी तरीका, समझना।

Signature valid
Digitally signed by Anupama Jorwal
Designation : State Project Director
Date: 2025.06.18 1?:55:43 IST
Reason: Approved

2. कलस्टर स्तरीय कार्यशाला कार्ययोजना :

- कलस्टर स्तरीय कार्यशाला के लिए कलस्टर पर 30 संभागियों की संख्या के अनुसार कार्य योजना बनाई जाए जिसमें 4–4 PEEO/UCEEO को एक साथ मिलाकर कार्यशाला आयोजन हेतु कलंस्टर का निर्धारण जिला/ब्लॉक स्तर से किया जाये।

- वर्ष में चार एक दिवसीय कलस्टर स्तरीय कार्यशालाओं का विषयवार आयोजन होगा, जिन्हें निम्नलिखित तिथियों में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।
- प्रत्येक कार्यशाला को दो–दो विषय समूह अनुसार वर्णित तिथियों में से किसी एक तिथि को रखी जानी है –.

कार्यशाला	प्रथम समूह (हिन्दी तथा पर्यावरण विषय)	द्वितीय समूह (गणित तथा अंग्रेजी विषय)
प्रथम	21/22 जुलाई, 2025	23/24 जुलाई, 2025
द्वितीय	11/12 सितम्बर, 2025	15/16 सितम्बर, 2025
तृतीय	25/26 नवम्बर, 2025	27/28 नवम्बर, 2025
चतुर्थ	28/29. जनवरी, 2026	30/31 जनवरी, 2026

नोट – अपरिहार्य कारणों से उक्त तिथियों में यदि कोई परिवर्तन हो तो ब्लॉक/जिला के माध्यम से संशोधित तिथि का निर्धारण कर परिषद कार्यालय से अनुमति लेकर कार्यशाला का आयोजन करें।

3. कलस्टर स्तरीय कार्यशाला का आयोजन स्थल :

- ग्राम पंचायत के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को कलस्टर/रिसोर्स विद्यालय के रूप में चयनित किया जाये।
- परिक्षेत्र के 4–4 PEEO/UCEEO को मिलाकर एक कलस्टर बनाया जाए। जिस PEEO/UCEEO स्थल पर कलस्टर कार्यशालाओं का आयोजन किया जाना है उसका चयन ब्लॉक/जिला स्तर से पूर्ण किया जाए।
- कलस्टर कार्यशाला हेतु चयनित विद्यालय में कार्यशाला हेतु पर्याप्त स्थान/कक्षा–कक्ष की उपलब्धता हो।
- कलस्टर पर कार्यशाला हेतु आवंश्यक सामग्री जैसे – एबीएल किट, प्रोजेक्टर, स्टेशनरी आदि उपलब्ध हो।

4. कलस्टर स्तरीय कार्यशालाओं हेतु विशेष निर्देश :

- कलस्टर क्षेत्र के समस्त विद्यालयों (प्राशि/उप्रावि/मावि/मावि) की कक्षा 1 से 5 में अध्यापन करवाने वाले समस्त शिक्षक अनिवार्य रूप से कार्यशाला में सम्मिलित होगें। प्रति कार्यशाला एक विद्यालय से अधिकतम दो शिक्षक (प्रति विषय एक शिक्षक) भाग ले सकेगें।
- कार्यशाला में प्रत्येक शिक्षक अपने विषय की अध्यापक योजना डायरी, चैकलिस्ट, सीसीई सामग्री एवं कक्षा की बेस्ट प्रेक्टिसेस लेकर अवश्य उपस्थित हो।

Signature valid

Digitally signed by Anupama Jorwal
Designation: State Project Director
Date: 2025.06.18 19:55:43 IST
Reason: Approved

- बैठक का प्रतिवेदन कलस्टर विद्यालय के संस्था प्रधान द्वारा ब्लॉक कार्यालय को कार्यशाला आयोजन के तीन दिवस में पहुँचाना सुनिश्चित करें। संबंधित सीबीईईओ कार्यालय से समस्त ब्लॉक के प्रतिवेदन समेकित कर जिला स्तरीय अधिकारियों तथा एक प्रति डाईट में भिजवाना सुनिश्चित करें।
- जिले के समग्र शिक्षा कार्यालय द्वारा कार्यशाला आयोजन के सात दिवस में जिले की समेकित सूचना परिषद कार्यालय को निर्धारित प्रारूप में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- कलस्टर कार्यशालाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित PEEO/UCEEO की रहेगी।

5. प्रस्तावित एजेण्डा :

कार्यशाला के आयोजन में विषयवार सत्रों का समय विभाजन निम्नानुसार रहेगा-

बैठक	10:30 से 12:00	12:00 से 1:30	02:00 से 3:00	03:00 से 04:30	वि.वि.
प्रथम	• बेस लाईन / पदस्थापन पर चर्चा, पाक्षिक योजना निर्माण एवं क्रियान्विति पर चर्चा • विद्या प्रवेश / स्कूल रेडिनेस कार्यपुस्तिका के उपयोग पर चर्चा	रचनात्मक आकलन (चैकलिस्ट) में प्रगति दर्ज करना एवं योगात्मक आकलन की प्रक्रिया की समझ	• एबीएल किट एवं आर्ट किट के बेहतर उपयोग पर चर्चा • वर्कबुक का उपयोग एवं रीडिंग कैम्पेन के प्रभावी संचालन पर चर्चा • गतिविधि आधारित कक्षा शिक्षण के क्रियान्वयन, पोर्टफोलियों संधारण, रचनात्मक एवं योगात्मक आकलन पर खुली चर्चा • विषय संबंधी परिचर्चाऐं, विमर्श एवं शिक्षण विधाओं पर चर्चा		रिसोर्स स्कूल के बेसलाईन. पाक्षिक योजना, चैक लिस्ट व पोर्टफोलियो का प्रस्तुतीकरण अपेक्षित है। इसके साथ ही संबंधित बेस्ट प्रेक्टिसेस साझा की जाए।
		पाक्षिक योजना की समीक्षा एवं आगामी पाक्षिक योजना निर्माण पर चर्चा एवं अधिगम क्षेत्रवार टिप्पणी पर चर्चा			
द्वितीय	प्रथम कार्यशाला की समीक्षा द्वितीय टर्म की योजना		द्वितीय योगात्मक आकलन पर चर्चा एवं अभिभावकों के साथ पोर्टफोलियों साझा करने की प्रक्रिया पर चर्चा		रिसोर्स स्कूल में पाक्षिक योजनानुसार कक्षा में पाठ का प्रस्तुतीकरण अपेक्षित है।
	पाठ्यक्रमणीय उद्देश्य एवं ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया का प्रस्तुतीकरण।	रिफ्लेक्टिव प्रश्न निर्माण एवं एबीएल के उपयोग	• प्रत्येक स्कूल से किसी एक विद्यार्थी के लर्निंग फ्लो का प्रस्तुतीकरण, योगात्मक आकलन अनुसार सीखने के प्रतिफल की प्रगति का प्रस्तुतीकरण • HPC, वार्षिक अभिलेख संधारण पर चर्चा		
तृतीय	द्वितीय कार्यशाला की समीक्षा सीसीई में आकलन के विभिन्न तरीके		तृतीय योगात्मक आकलन टूल पर चर्चा एवं निर्माण		
	मल्टी लेवल एण्ड मल्टी ग्रेड टीचिंग एवं चुनौतियों, उपचारात्मक शिक्षण को प्रभावी बनाने पर चर्चा		अभिलेख सधारण में आने वाली समस्या पर खुली चर्चा		
चतुर्थ	तृतीय कार्यशाला की समीक्षा, कला		चतुर्थ योगात्मक आकलन टूल पर चर्चा		रिसोर्स स्कूल के

Signature valid
Digitally signed by Anupama Jorwal
Designation : State Project Director
Date: 2025.06.18 19:55:43 IST
Reason: Approved

	स्वास्थ्य एवं कार्यानुभव विषयों का शिक्षण में एकीकृत रूप । पुस्तकालय की भूमिका पर चर्चा	एवं निर्माण (ब्ल्यूप्रिन्ट अनुसार) HPC, वार्षिक अभिलेख संधारण पर चर्चा	दस्तावेजीकरण एवं पोर्टफोलियो का प्रस्तुतीकरण

6. विषयवार कलस्टर स्तरीय कार्यशाला के लिए निर्देश :

- कार्यशाला आयोजन हेतु तिथि निर्धारण इस प्रकार किया गया है कि एक विद्यालय से एक बार में एक विषय समूह हिन्दी/पर्यावरण तथा गणित/अंग्रेजी को पढ़ाने वाले शिक्षक भाग लेंगे। इससे स्कूल बंद होने की स्थिति नहीं बनेगी।
- एकल शिक्षक दोनों विषय समूहों में से किसी एक विषय समूह की कार्यशाला में भाग ले। इसके लिए नोडल प्रधानाध्यापक/सीबीईईओ उक्त विद्यालय में वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करें।
- कार्यशाला आयोजन से पूर्व ब्लॉक स्तरीय कोर कमेटी की बैठक का आयोजन किया जाना है, जिसमे डाइट, सीबीईईओ, समग्र शिक्षा कार्यालय, कलस्टर विद्यालय के प्रधानाचार्य तथा एमटी/एसआरजी सदस्य एवं शिक्षा में कार्य कर रही संस्थाऐं आवश्यक रूप से भाग लेकर समस्त व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
- प्रत्येक चयनित कलस्टर के लिए विद्यालयों के प्रधानाचार्य प्रभारी अधिकारी होंगे।
- प्रत्येक कार्यशाला में ब्लॉक स्तर के प्रभारी अधिकारी के साथ डाईट से ब्लॉक प्रभारी अधिकारी उपस्थित रहकर मॉनिटरिंग करेंगे।
- कलस्टर स्तरीय कार्यशालाओं की मॉनिटरिंग के लिए एक टूल निर्मित किया गया है, जिसमें प्रक्रिया का आकलन एवं दस्तावेजीकरण सीबीईईओ कार्यालय तथा जिला कार्यालय द्वारा संधारित किया जायेगा (संलग्न प्रपत्र परिशिष्ट 1 से 3)।
- इन कलस्टर स्तरीय कार्यशालाओं को best practices sharing के लिए उपयोगी Platform के रूप में विकसित किया जाना है।
- प्रत्येक कार्यशाला में गत कार्यशाला के सत्रों पर चर्चा की जानी है।
- कलस्टर स्तरीय कार्यशाला आयोजन स्थल के संस्थाप्रधान द्वारा कार्यशाला हेतु आवश्यक संसाधन यथा जल–पान/विद्युत/बैठक स्थल/फर्नीचर/प्रोजेक्टर इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य उक्त कार्यशाला की मॉनीटरिंग, निर्धारित प्रपत्रों में सूचना का संकलन, प्रेषण तथा अध्यापक योजना डायरी पर प्रति हस्ताक्षर कर संभागियों को उपस्थिति पत्र जारी करेंगे।
- जिला कार्यालय समग्र शिक्षाए संबंधित डाइट एवं ब्लॉक के अधिकारियों के साथ बैठकर मासिक कार्यशालाओं के लिए कार्य योजना तैयार करेंगे।
- इस बैठक में डाइट के प्रतिनिधि अकादमिक संस्था के रूप में सहयोग प्रदान करेंगे।
- ब्लॉक को कलस्टरों में विभाजित करें जिससे प्रति कलस्टर 25 से 30 शिक्षकों को कार्यशाला में सम्मलित किया जाए।
- कार्यशाला में अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों एवं दक्ष प्रशिक्षकों के विरूद्ध नियमानुसार, निर्देशानुसार कार्यवाही की जाये।

7. कार्यशाला हेतु दक्ष प्रशिक्षकों की संख्या :

Signature valid

Digitally signed by Anupama Jorwal
Designation : State Project Director
Date: 2025.06.18 1?:55:43 IST
Reason: Approved

- कार्यशाला हेतु विषयवार एक दक्ष प्रशिक्षक नियुक्त किया जायें। दक्ष प्रशिक्षकों की नियुक्ति कलस्टर विद्यालय के संस्था प्रधान एवं ब्लॉक के समन्वय से की जाये। कलस्टर विद्यालय के विषय अध्यापक कार्यशाला में दक्ष प्रशिक्षक को सहयोग करेंगे।
- गत सत्र में एफएलएन प्रशिक्षण हेतु प्रति ब्लॉक 8 केआरपी को प्रशिक्षित किया गया था। उन केआरपी अथवा ब्लॉक में पदस्थापित अन्य अनुभवी शिक्षकों का चयन दक्ष प्रशिक्षक के रूप में किया जावें।
- प्रति कलस्टर विषयवार आवश्यकतानुसार दक्ष प्रशिक्षकों की पहचान करें। यथासंभव दक्ष प्रशिक्षक उसी कलस्टर क्षेत्र के विद्यालयों से हो।
- ब्लॉक स्तर के अधिकारी, आरपी इन मासिक कार्यशालाओं में आवश्यक रूप से भाग लें और पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित करें।
- जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0/मा0शि0) सभी सम्बन्धित अधिकारियों, संस्थाप्रधानों को पूर्व में ही कार्यशाला आयोजन से सम्बन्धित व्यवस्थाओं की सुनिश्चितता के लिए निर्देशित करें।

8. विषयवार कलस्टर स्तरीय कार्यशालाओं की पूर्व तैयारी :

- कलस्टर स्तरीय कार्यशालाओं की प्राथमिक जानकारी डाइट प्राचार्य को दी जाये।
- संबंधित डाइट संकाय/व्याख्याता के साथ मिलकर योजना तैयार की जाए जिससे डाईट की सहभागिता सुनिश्चित की जा सके।
- दक्ष प्रशिक्षक से चर्चा कर आवश्यक सामग्री विद्यालय (कार्यशाला स्थल) पर पहुंचा दी जाये।
- ब्लॉक कार्यालय समग्र शिक्षा द्वारा शिक्षकों को कार्यशाला से 5 दिन पूर्व सूचित कर दिया जाये, जिससे उनकी शत–प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके।
- जिला परियोजना कार्यालय प्रत्येक कलस्टर स्तरीय कार्यशालाओं की सम्पूर्ण जानकारी परिषद् कार्यालय को आयोजन के 5 दिवस पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि इन कार्यशालाओं की मॉनिटरिंग की जा सके।

9. ब्लॉक स्तर पर समन्वय समिति (बीसीसी) की बैठक के आयोजन की प्रस्तावित तिथियाँ :

	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ
ब्लॉकस्तरीय	15–16 जुलाई, 2025	8–9 सितम्बर, 2025	17–19 नवम्बर, 2025	20–21 जनवरी, 2026

- ब्लॉक व जिले स्तर के अधिकारी कार्यशाला में उपस्थिति होकर अकादमिक और प्रशासनिक समन्वयन का कार्य करें।

10. ब्लॉक स्तर पर अपेक्षित कार्य :
कार्यशाला के सफल क्रियान्वयन हेतु निम्नांकित कार्य किया जाना अपेक्षित है –

किये जाने वाले कार्य	उत्तरदायित्व
• कलस्टर कार्यशाला हेतु सन्दर्भ व्यक्ति एवं शिक्षक प्रशिक्षण हेतु विषयवार प्रशिक्षण स्थल रिपोर्टिंग प्रपत्र संधारित कर जिला परियोजना कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे। • कलस्टर के अनुसार संदर्भ व्यक्ति के आदेश जारी करना।	सीबीईईओ
• कार्यशाला में शिक्षकों द्वारा बताई गई शिक्षण प्रक्रिया में आने वाली	ब्लॉक/जिला प्रभारी

Signature valid
Digitally signed by Anupama Jorwal
Designation : State Project Director
Date: 2025.06.18 1?:55:43 IST
Reason: Approved

अकादमिक चुनौतियों को समेकित कर जिला स्तर पर प्रस्तुत करना।	अधिकारी
• सन्दर्भ व्यक्ति तथा ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को संबलन प्रदान करना।	डाइट प्रधानाचार्य
• अवलोकन के दौरान कक्षा शिक्षण में हो रहे अपेक्षित बदलावों जैसे बच्चों की सहभागिता, गतिविधि आधारित शिक्षण, बच्चों के लिए शिक्षण के अवसर की उपलब्धता आदि पर विशेष फोकस किया जाए।	सभी अवलोकन अधिकारी / प्रभारी
• अवलोकनकर्ता अधिकारी कार्यशाला में निरीक्षणकर्ता की अपेक्षा सम्बलनकर्ता की भूमिका में अवलोकन करें।	
• ब्लॉक स्तर से कम से कम 3 बेस्ट प्रेक्टिसेस तैयार कर जिला कार्यालयों को उपलब्ध करावें।	सीबीईईओ
• उक्त कार्यशालाओं में शिक्षा से जुडी संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित करें।	सीबीईईओ

नोट – 1. कलस्टर कार्यशाला विद्यालय के संस्थाप्रधान अवलोकनकर्ता को अवलोकन प्रपत्र की दो प्रतियां उपलब्ध कराएं। अवलोकनकर्ता द्वारा अवलोकन पश्चात प्राप्त प्रपत्र की एक रक्षित प्रति विद्यालय में एवं दूसरी प्रति जिला समसा कार्यालय को प्रेषित करें।

2. प्रत्येक जिला एफएलएन कार्य से संबंधित 2 बेस्ट प्रेक्टिसेस प्रति कार्यशाला गुणवत्ता एवं प्रशिक्षण प्रकोष्ठ समग्र शिक्षा को उपलब्ध कराए

11. कलस्टर स्तरीय कार्यशाला हेतु बजट **प्रावधान –**

प्रति कलस्टर प्रति कार्यशाला – 1500 X 4 = 6000.00
कार्यशाला के प्रथम दिवस हिंदी, पर्यावरण तथा द्वितीय दिवस गणित अंग्रेजी हेतु बजट राशि प्रावधान।

क्र.सं.	विवरण	दर	राशि
1.	संदर्भ व्यक्ति मानदेय	800.00	800.00
2.	अल्पाहार	50 x 1 x 30	1500.00
3.	Stationary, TLM, Photocopy etc.	15 x 1 x 30	450.00
4.	विविध व्यय	250.00	250.00
		कुल	3000.00

- उक्त राशि के उपयोग की अनुमति जिला/ब्लॉक कार्यालय द्वारा कलस्टर कार्यशाला आयोजित करने वाले विद्यालय की एसडीएमसी को जारी की जायेगी।
- एसडीएमसी में प्रस्ताव लेकर नियमानुसार उक्त राशि का उपयोग किया जावे।

लेखा संबंधी नियम –

➢ इस मद में निर्धारित बजट सीमा से अधिक व्यय नहीं किया जाये। निर्धारित सीमा से अधिक व्यय किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाकर वसूली की जाएगी। क्रय हेतु वित्तीय नियमों का ध्यान रखा जाये।

Signature valid
Digitally signed by Anupama Jorwal
Designation: State Project Director
Date: 2025.06.18 19:55:43 IST
Reason: Approved

- व्यय का निर्धारित समयावधि में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाये।
- इस राशि का उपयोग उपरोक्त गतिविधि एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुए विहीत प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित करें।
- क्रय की जाने वाली सामग्री में "राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियमों 2013" की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाये।

(अनुपमा जोरवाल)
राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

क्रमांकः–रा.स्कू.शि.प./जय/गुणवत्ता/कलस्टर/01798/**2025–26**/15921210 **दिनांक :** 18/6/2025
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, समग्र शिक्षा, जयपुर।
3. निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
4. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
5. निदेशक आरएससीईआरटी, उदयपुर।
6. अति. राज्य परियोजना निदेशक–प्रथम/द्वितीय समग्र शिक्षा, जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, रास्कूलशिप, जयपुर।
8. जिला प्रभारी, समस्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
9. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, समस्त संभाग।
10. प्राचार्य, डाइट, समस्त जिले।
11. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समस्त जिले।
11. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
12. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समस्त ब्लॉक।
13. प्रोग्रामर, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर को भेजकर लेख है कि दिशा निर्देश को समग्र शिक्षा की वेब साइट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
14. PEEO /UCEEO, समस्त जिले।
15. कार्यालय प्रति।

Signature valid
Digitally signed by Anupama Jorwal
Designation : State Project Director
Date: 2025.06.18 1?:55:43 IST
Reason: Approved

परिशिष्ट–1

कलस्टर स्तरीय कार्यशाला तैयारी बैठक की समेकित सूचना प्रपत्र

ब्लॉक का नाम : .... जिले का नाम ....

बैठक आयोजन की तिथि : .... आमंत्रित सदस्यों की संख्या .... उपस्थित सदस्यों की संख्या ....

बैठक में उपस्थित सदस्यों का वर्गीकृत विवरण

क्र.सं.	कार्यालय	नाम (अधिकारी / कार्मिक)	पद	मुख्य प्रस्ताव / सुझाव
1	डीपीसी / एडीपीसी / एपीसी			
2	डाइट–प्रधानाचार्य / प्रभारी			
3	सीबीईओ			
4	कलस्टर प्रधानाचार्य			
5	एसआरजी सदस्य / केआरपी / एमटी (तीन)			
6	अन्य (सहयोगी संस्थाएँ, विशेष अथिति)			

दिनांक : ....

हस्ताक्षर
(सी.बी.ई.ओ.)

Signature valid

Digitally signed by Anupama Jorwal
Designation : State Project Director
Date: 2025.06.18 1?:55:43 IST
Reason: Approved

Ref No.: 15921210

परिशिष्ट–2

कलस्टर स्तरीय कार्यशाला की समेकित सूचना प्रपत्र

ब्लॉक का नाम : .... जिले का नाम ....

क्र. सं.	कलस्टर केन्द्र का नाम	निर्धारित तिथि	नियुक्त एमटी का नाम		समूहवार आमंत्रित शिक्षकों की संख्या		समूहवार उपस्थित शिक्षकों की संख्या	
			हिन्दी एवं पर्यावरण	अंग्रेजी एवं गणित	हिन्दी एवं पर्यावरण	अंग्रेजी एवं गणित	हिन्दी एवं पर्यावरण	अंग्रेजी एवं गणित
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

दिनांक : ....

हस्ताक्षर
(सी.बी.ई.ओ.)

Signature valid

Digitally signed by Anupama Jorwal
Designation : State Project Director
Date: 2025.06.18 1?:55:43 IST
Reason: Approved

Ref No.: 15921210

परिशिष्ट–3

कलस्टर स्तरीय कार्यशालां की समेकित सूचना प्रपत्र

जिले का नाम ....

क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	ब्लॉक में कलस्टर की संख्या	समूहवार आमंत्रित शिक्षकों की संख्या		समूहवार उपस्थित शिक्षकों की संख्या		उपस्थिति का प्रतिशत	
			हिन्दी एवं पर्यावरण	अंग्रेजी एवं गणित	हिन्दी एवं पर्यावरण	अंग्रेजी एवं गणित	हिन्दी एवं पर्यावरण	अंग्रेजी एवं गणित
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

दिनांक : ....

हस्ताक्षर
(एडीपीसी)
जिला ....

Signature valid
Digitally signed by Anupama Jorwal
Designation : State Project Director
Date: 2025.06.18 1[illegible]:55:43 IST
Reason: Approved

Ref No.: 15921210